प्रेषक,

अभिनय कुमार मिश्रा,
आई0डी0 यू0पी06239
विशेष न्यायाधीश, ऐंटी टेरर स्क्वायड/
अपर जनपद न्यायाधीश,लखनऊ

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा–

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ

विषय– **<u>पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

ससम्मान् निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated July 16, 2024 के माध्यम् से उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या Sa-3-379/ X-2005-301(9)-2003 Dated 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित पदों/रिक्तियों पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित पुरानी पेंशन योजना से दिनांक 31.10.2024 की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उ0प्र0 सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के तहत कवर करने की सुविधा दी गयी है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नियंत्रण में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारी, जिन्हें उ0प्र0 न्यायिक सेवा/यूपी.एच.जे.एस. की अधिसूचना दिनांकित 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त/चयनित किया गया है, के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने हेतु शासनादेश संख्या 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.24 जारी किया गया है।

श्रीमान् जी को सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ए–2/ई–1/2003 दिनांकित 22 नवम्बर, 2003 के माध्यम् से उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1017/डीआर (एस)/2006 के अनुक्रम में हुई थी। तत्पश्चात् अधोस्ताक्षरी द्वारा उक्त पद पर **दिनांक 19.06.2006** को कार्यभार ग्रहण किया गया।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश के आलोक में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विकल्प के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

(अभिनय कुमार मिश्रा),
विशेष न्यायाधीश, ऐंटी टेरर स्क्वायड/
अपर जनपद न्यायाधीश,लखनऊ
आई0डी0 यू0पी06239

दि0–27.08.2024

<u>संलग्नक :–</u>

1. शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 की छायाप्रति।
2. उक्त शासनादेश दि0 28.06.2024 के अनुक्रम में विकल्प हेतु जारी शासनादेश संख्या 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 की छायाप्रति।
3. उ0प्र0, लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ए–2/ई–1/2003 दिनांकित 22 नवम्बर, 2003 की छायाप्रति।
4. माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अधोहस्ताक्षरी की प्रोफाइल की छायाप्रति।
5. माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1017/डीआर (एस)/2006 की छायाप्रति।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
पत्रांक 1301/XV Arbi दिनांक 29/8/24
अग्रसारित किया गया।

जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

विकल्प पत्र

1. नाम– अभिनय कुमार मिश्रा
2. वर्तमान पदनाम–विशेष न्यायाधीश, ऐंटी टेरर स्क्वायड/अपर जनपद न्यायाधीश,लखनऊ
3. वेतनमान– 1,78,150/–रू0
4. वर्तमान विभाग का नाम– जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम– नियुक्ति अनुभाग–4, उ0प्र0शासन
6. विज्ञप्ति की तिथि–22नवम्बर,2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि–26.05.2006(UP Government Appointment/Notification No.2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.05.2006 & Hon'ble High Court Notification No-1017/DR(S)/2006 dated June 13, 2006)
8. योगदान की तिथि–19.06.2006
9. जन्मतिथि– 25.12.1973
10. सेवानिवृत्ति की तिथि– 31.12.2033

मैं अभियनय कुमार मिश्रा, पुत्र स्व.श्री सम्पत मिश्रा, शासनादेश संख्या14/2024/ सा–3–243/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (√) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर– A.K.Mishra

नाम– अभिनय कुमार मिश्रा

पदनाम–विशेष न्यायाधीश, ऐंटी टेरर स्क्वायड/

अपर जनपद न्यायाधीश,लखनऊ

घोषणा पत्र

मैं अभिनय कुमार मिश्रा, पदनाम विशेष न्यायाधीश ऐंटी टेरर स्क्वायड/अपर जनपद न्यायाधीश,लखनऊ यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– A.K.Mishra

नाम– अभिनय कुमार मिश्रा

पदनाम–विशेष न्यायाधीश, ऐंटी टेरर स्क्वायड/

अपर जनपद न्यायाधीश,लखनऊ

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अभिनय कुमार मिश्रा, पदनाम विशेष न्यायाधीश, ऐंटी टेरर स्क्वायड/अपर जनपद न्यायाधीश,लखनऊ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना** (√) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

A. Tripathi

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

District Judge
Lucknow

1– यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2– **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।**

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with CamScanner

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with CamScanner

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथिः 19 दिसम्बर, 2003 **डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003**

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन उ. प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट http://uppsc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा मे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पद्धति लागू है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन मे अंकित सूची मे दिए गए डाकघरो से क्रय कर सकते हैं। **जे.पी.जी. सिरीज** के आवेदन पत्रो (सामान्य अभ्यर्थियो, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियो तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियो हेतु) का मूल्य **रू. 150/-** तथा **जे.पी.आर. सिरीज** (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो हेतु) का मूल्य **रु. 90/-** है। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे।

3. अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो स्टेट प्रति अपने पास अवश्य रखे तथा भविष्य के पत्राचार मे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट-1 मे उल्लिखित जिलो के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर मार्च, 2004 में एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगे।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रो का नाम अभ्यर्थियो को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रो का आवटन आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा।

2. **रिक्तियाँ** :- रिक्तियो की कुल संख्या-347 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियो के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियो के लिए 173 रिक्तियाँ आवंटित हैं। शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/1995 टी.सी.-1/97, दिनाक 20.9.97 मे दिए प्राविधानानुसार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितो को दो प्रतिशत तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। पद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. के समाज के विकलांगो को आरक्षण दिया जाना अनुमन्य नहीं है।

नोट :- **(1)** आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 मे मुद्रित निर्धारित प्ररूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। **(2)** आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। **(3)** एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो, दी जायेगी। **(4)** अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक जो उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नही हैं, उन्हे आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। **(5)** उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम-8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओ के लिए आरक्षित रिक्तियाँ : (1) विशेष अनुज्ञा याचिका सं. - 15768/2001 मंजुला सरकार बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (2) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (3) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 628/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (4) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18824/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह एव (5) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह मे मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन होंगी। [illegible]

जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा मे स्वीकार नही किए जायेगे। हाथो-हाथ आवेदन पत्र जमा करने पर काउन्टर से रसीद अवश्य प्राप्त करे।

8. **डाकघरों की सूची** :- आगरा (282 001), अलीगढ़ (202 122), इलाहाबाद एच.ओ. (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद कैवलरी लाइन्स (211 004), इलाहाबाद (दारागंज) 211 006, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर अकबरपुर-224 122, औरैया-200 122, आज़मगढ़- 276 001, बदायूँ-243 601, बागपत-250 009, बहराइच-271 801, बलरामपुर-271 201, बलिया-277 001, बांदा-210 001, बाराबंकी - 225 001, बरेली-243 001, बस्ती (बांसी)-272 161, बिजनौर-246 701, बुलंदशहर-203 001, चन्दौली-232 109, चित्रकूट (कर्वी)-201 205, देवरिया-274 001, एटा-207 005, इटावा-206 001, फैज़ाबाद-224 001, फर्रूखाबाद (फतेहगढ़)-209 625, फतेहपुर-212 601, फिरोज़ाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाज़ियाबाद-201 001, गाज़ीपुर-233 001, गोंडा-271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर-210 301, हरदोई-241 001, हाथरस-207 101, जालौन (उरई)-285 001, जौनपुर-222 001, झांसी-284 001, ज्योतिबाफुलेनगर-(अमरोहा) 272 127, कन्नौज-209725, कानपुर जी.पी.ओ.-208 004, कानपुर कैन्ट 208 001, कानपुर नवाबगंज, कौशाम्बी (मंझनपुर)-212 207, कुशीनगर (पडरौना)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर-284 403, लखनऊ जी.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (चौक)-226 003, महराज़गज-221 010, महोबा-210 427, मैनपुरी-205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पीलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 901, सहारनपुर-247 001, संतकबीर नगर (खलीलाबाद), संत रविदास नगर (भदोही), शाहजहाँपुर-242 001, श्रावस्ती (भिंगा), सिद्धार्थनगर (टिटरी बाज़ार), सीतापुर- 267 001, सोनभद्र (राबर्ट्सगंज), सुल्तानपुर-228 001, उन्नाव-209 801, वाराणसी एच.क्यू. - 221 001, वाराणसी कैन्ट-221 002।

9. **महत्वपूर्ण निर्देश** :-

(1) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयान्तर्गत होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।

(3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेंगे। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिमतिथि के 30 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुस्मारक भेजना चाहिए। आयोग कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद प्रस्तुतिकरण के समय दी जाती है, प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्तं करें।

(4) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा मे पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या - 22/10/1976-का-2-85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :-

(ए) आदेदको को सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी का इस सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गई है तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक

(साक्षात्कार) मे सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(15) यदि अभ्यर्थी के पते मे कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

परिशिष्ट-1

केन्द्रों के नाम :-

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	जनपद
1.	आगरा	2	इलाहाबाद
3.	बरेली	4	गोरखपुर
5	झाँसी	6	लखनऊ
7.	मेरठ	8	वाराणसी

परिशिष्ट-2

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-प्रथम	2 घंटे	अंक-150

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र मे विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र-द्वितीय	2 घंटे	अंक-300

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत मे तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में, हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(I) विधि शास्त्र
(II) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
(III) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण
(IV) भारतीय संविधान
(V) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
(VI) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(VII) भारतीय दण्ड संहिता
(VIII) सिविल प्रक्रिया संहिता
(IX) आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(X) संविदा विधि

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :-

प्रश्न पत्र संख्या - 1 सामान्य ज्ञान :-

यह प्रश्न पत्र 200 अकों का होगा। "सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न पत्र होगा।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A A- A A+

SRI ABHINAY KUMAR MISHRA

Addl. District & Sessions Judge
Lucknow

Id No:	UP6239
Father's/Husband's Name:	SAMPAT MISHRA
Date of Birth:	25-12-1973
Date of Retirement:	31-12-2033
Home District:	Other State
Home State:	Jharkhand
Date of Appt. in Judicial Service as Munsif/CJ(JD):	19-06-2006
Date of Promotion in CJ/CJ(SD):	15-12-2009
Date of Conf. on Munsif/CJ(JD):	11-09-2019
Date of Promotion to Class-I:	15-12-2009
Date of Joining in HJS under Rule 22(3) of UP HJS Rule 1975:	
Date of Joining in HJS under Rule 22(1) of UP HJS Rule 1975:	17-02-2018
Date of Conf. in HJS:	

Qualification Details

SL	DETAILS	DIVISION	YEAR
1.	High School	Second	1989
2.	Intermediate	Second	1991
3.	B.Sc. (Hons.)	Second	1995
4.	LL.B.	Second	1999

Training Details

SL	SUBJECT	INSTITUTE	FROM-TO
1.	Foundation/Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	24-06-06 - 07-08-06
2.	Refresher Training Programme for Civil Judges under 13th Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	14-05-13 - 18-05-13
3.	Special Training Programme on Managerial Effectiveness at IIM, Lucknow		17-02-14 - 21-02-14
4.	Refresher Training Programme for Judicial Officers under 14 Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	11-09-17 - 15-09-17
5.	Training Programme on UBUNTU 16.04 & CIS 2.0	I.J.T.R., U.P. Lucknow	03-01-18 - 04-01-18
6.	Special Training Programme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	02-07-18 - 06-07-18
7.	Special Training Programme for recently promoted Addl. District and Sessions Judges	I.J.T.R., U.P. Lucknow	02-07-18 - 06-07-18

Posting Details

SL	DESIGNATION PLACE	FROM TO	REMARKS
1.	Judicial Magistrate Sonbhadra	19-06-2006 29-08-2008	
2.	Civil Judge (Junior Div.) Sonbhadra	29-08-2008 27-11-2008	
3.	Judicial Magistrate Sonbhadra	27-11-2008 15-12-2008	
4.	Civil Judge (Junior Div.) Bhognipur-Ramabai Nagar	17-12-2008 15-12-2009	J.M. (Economic Offences)
5.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM. Ramabai Nagar	15-12-2009 16-04-2012	
6.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM. Meerut	18-04-2012 15-04-2015	
7.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM. Jaunpur	18-04-2015 04-07-2015	
8.	Chief Judicial Magistrate Jaunpur	04-07-2015 19-02-2018	
9.	Addl. District & Sessions Judge Jaunpur	19-02-2018 23-04-2018	Fast Track
10.	A.D.J. (FTC) Moradabad	26-04-2018 01-08-2018*	
11.	A.D.J. (FTC) Moradabad	01-08-2018* 17-04-2019	
12.	A.D.J. (FTC) Moradabad	17-04-2019 29-07-2019	
13.	Addl. District & Sessions Judge Moradabad	29-07-2019 26-02-2020	
14.	Addl. District & Sessions Judge Moradabad	26-02-2020 12-04-2021	
15.	Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act) Mau	13-04-2021 20-05-2022*	
16.	Addl. District & Sessions Judge Mau	20-05-2022* 24-08-2022	
17.	A.D.J. (FTC) Mau	24-08-2022 24-01-2023	Secy., DLSA
18.	Addl. District & Sessions Judge Mau	24-01-2023 13-04-2024*	Secy., DLSA
19.	Addl. District & Sessions Judge Lucknow	16-04-2024	ATS

(* : The exact date on which charge taken/handed over is not known. This is the date of notification of transfer.)

(The above information is subject to verification by Services Section.)

No. 1009 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Kashi Nath**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Sultanpur.

No. 1010 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Sanjay Kumar Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Ghazipur.

No. 1011 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Rajesh Narain Mani Tripathi**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Faizabad.

No. 1012 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Umakant Jindal**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Etah.

No. 1013 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Deepa Rai**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Raibareli in the vacant court.

No. 1014 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Km. **Alpana Shukla**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur in the vacant court.

No. 1015 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Gyanender Singh Yadav**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Farrukhabad.

No. 1016 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Gaurav Kumar**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Varanasi.

No. 1017 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Abhinay Kumar Mishra**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Sonbhadra in the vacant court.